न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 08/2019/अपील

1. पाना देवी धर्मपत्नि स्व. श्री जयनारायण
2. बनवारी लाल पुत्र स्व. श्री जयनारायण
   जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम श्यामपुरा (पूर्वी) वाया रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अपीलांट्स

ब ना म

1. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री विजेलाल उर्फ विजयलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम किकरालिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. भूमिधारक जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ

–रेस्पोडेंटगण

3. संतरा पुत्री स्व. श्री जयनारायण पत्नि श्री बाबूलाल शर्मा निवासी चारण का बास पो0 हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर।
4. द्रौपदी पुत्री स्व. श्री जयनारायण पत्नि श्री विनोद कुमार चोटिया निवासी चुवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
5. निर्मला पुत्री स्व. श्री जयनारायण पत्नि श्री संतोष कुमार खाण्डल निवासी होल्याना बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 107 दिनांक 29.11.1982 द्वारा ग्राम पंचायत किकरालिया तह0 दांतारामगढ

उपस्थिति–

1. श्री रेखराज पारीक, वकील अपीलांट्स की ओर से।

निर्णय **दिनांक– 07 .02.2020**

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 ता 5 जो ग्राम श्यामपुरा पूर्वी वाया राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के मूलनिवासीगण है स्व. श्री विजैलाल उर्फ विजयलाल के विधिक वारिशान है तथा सजरा खानदार इस प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

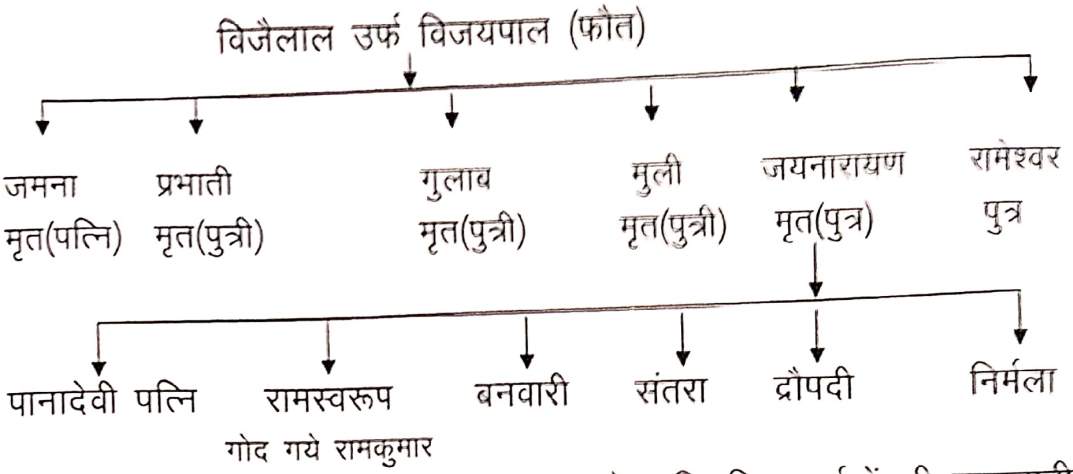

स्व0 श्री विजैलाल उर्फ विजयलाल एवं उनके पारिवारिक भाईयों की शामलाती कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 42 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 44 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम किकरालिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित रही है जिन कृषि भूमियों में अपीलांटगण के ससुर एवं दादा स्व0 विजैलाल उर्फ विजयलाल पुत्र स्व0 श्री बक्शीराम का 1/3 हक व हिस्सा अवस्थित रहा है। स्व0 विजैलाल उर्फ विजयलाल के निधन के पश्चात उनकी विरासत का नामांतकरण संख्या 67 उनकी पत्नि जो अपीलांट संख्या 1 की सास थी व अपीलांट संख्या 2 की दादी जमना के नाम के स्वीकृत किया गया। जमना पत्नि विजैलाल उर्फ विजयलाल का निधन दिनांक 28.11.1974 को हो गया। स्व. जमना की विरासत का नामांतकरण संख्या 107 दिनांक 21. 05.1975 को गलत रूप सें राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना समुचित जांच किये जमना के 1/3 हिस्से का अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर के नाम भरा गया। जबकि जमना के एक अन्य जायन्दा पुत्र आवेदकगण के पति एवं पिता जयनारायण भी जमना के निधन के पश्चात जीवित थे। जिनका भी कानूनन उक्त भूमियों में 1/3 हिस्से के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ नामांतकरण भरा जाना चाहिए था यद्यपि आवेदकगण के पति व पिता अपनी माता जमना के समय सें ही उक्त भूमियों पर उनके साथ काबिज होकर ताजिन्दगी काश्त करते रहे है। जमना के तीन अन्य जायन्दा पुख्यिां प्रभाती, गुलाब व मूली भी उनकी मृत्यु के समय जीवित थी।। जो शादी उपरान्त अपने अपने ससुराल में निवास कर अपने वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। जिनके द्वारा अपनी शादी के पश्चात कभी भी उक्त भूमियों को काश्त नहीं किया गया था। उक्त बनवारीलाल की तीनों जायन्दा पुत्रियों का निधन हो चुका है। अपीलांट्स के पति व पिता जयनारायण का स्वर्गवास दिनांक 27.10.1997 को हो चुका है एवं जमना की तीनों पुत्रियों का भी निधन हो चुका है। उक्त दावा में दर्शित

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

जयनारायण के एक अन्य जायन्दा पुत्र रामस्वरूप रामकुमार जी के विधिवत गोद जा चुके है। जिनके बाबत गोदनामा पंजीकृत किया हुआ है एवं स्व0 श्री जयनारायण की तीन अन्य पुत्रियां प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 भी बाद विवाह अपने अपने ससुराल में रह रही है। अपीलांटगण वादग्रस्त भूमियों में 1/6 हिस्से के अंतर्गत भूमियों पर काबिज होकर निरंतर भूमियों का उपयोग/उपभोग कर रहे है। विवादित भूमियों के संबंध में गलत रूप सें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/3 भाग बाबत दर्ज चला आ रहा है के द्वारा अपीलांट्स को हिस्सा नहीं देने की गर्ज सें गलत रूप सें एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम सीकर के यहां वाद संख्या 25/2012 उनवानी रामेश्वर बनाम रामस्वरूप आदि बाबत तकासमा जायदाद एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जिस वाद की जानकारी अपीलांटगण को प्राप्त होने पर उनके द्वारा अविलंब दिनांक 16.03.2012 को एक आवेदन बाबत पक्षकार मुकदमा संयोजित किये जाने वास्ते न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर के यहां प्रस्तुत किया जिस वाद में आगामी तारीख पेशी 17.04.2012 नियत थी । वाद की जानकारी दनामक 13.03.2012 को हुई इस पर अविलम्ब उनके द्वारा वाद में नियत तिथि को आवेदन प्रस्तुत कर यह अपील तत्पश्चात रेवेन्यू रिकॉर्ड की समुचित प्रतिलिपि प्राप्त कर यह अपील बाबत नामांतकरण संख्या 107 को निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांटगण को वादग्रस्त भूमि के बाबत वाद की जानकारी दिनांक 13.032012 को गांव में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तकासमा वाद की होने पर उनके द्वारा अविलम्ब राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपने विधिक अधिकारों बाबत कार्यवाही की जा रही है। इसलिए अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। कानूनन भी अवैद्य नामांतकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत किसी भी प्रकार सें विलम्ब भी क्षमा योग्य है। इसलिए विलम्ब की क्षमा वास्ते धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन भी पृथक सें अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जिस आवेदन को स्वीकार फरमाया जाकर मौजूदा अपील अन्दर मियाद होने सें स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में भरे गये अवैध नामांतकरण संख्या 107 दिनांक 21.05.1975 द्वारा ग्राम पंचायत किकरालिया को निरस्त फरमाया जाकर नये सिरे सें विजैलाल उर्फ विजयलाल की विरासत बाबत नामांतकरण के उनके 1/3 हिस्से के लिये अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में भरे जाने बाबत आदेश प्रदान किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में भरे गये अवैध नामांतकरण संख्या 107 दिनांक 21.05.1975 द्वारा ग्राम पंचायत किकरालिया को निरस्त फरमाया जाकर नये सिरे सें विजैलाल उर्फ विजयलाल की विरासत बाबत नामांतकरण के उनके 1/3 हिस्से के लिये अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में भरे जाने बाबत आदेश प्रदान किये जावे।

2. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। **पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 05.05.2014 के द्वारा अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के बिन्दू पर अपीलांट अपील खारिज की गई। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.08.2018 के द्वारा मियाद के बिन्दू पर लचीला रूख अपनाकर विलम्ब को क्षमा किया गया। अतः माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय एवं न्यायहित में विलम्ब को क्षमा किया जाता है। नामांतकरण संख्या 107 दिनांक 21.05. 1975 द्वारा ग्राम पंचायत किकरालिया के अवलोकन सें स्पष्ट है कि जमना की मृत्यु के पश्चात विरासत के नामांतकरण विजैलाल उर्फ विजयलाल के पुत्र जयनारायण को छोड़कर केवल रामेश्वर के नाम सें भरा गया है। अतः ग्राम पंचायत किकरालिया द्वारा नामांतकरण संख्या 107 दिनांक 21.05.1975 प्रथम श्रेणी के सभी वारिसों के पक्ष में न भरकर विधिक त्रुटि की है।: अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा नामांतकरण संख्या 107 दिनांक 21.05.1975 द्वारा ग्राम पंचायत किकरालिया खारिज किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः मृतक जमना के सभी वारिशानों को सुनकर नामांतकरण की कार्यवाही करें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक07.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner